

जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) पाली

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्व.रोजगार योजना के तहत ऋण के लिये आवेदन व मूल्यांकन पत्र

001

स्व. रोजगारी का चयन

क्रमांक.....वर्ष.....

प्रार्थी का
नवीनतम्
प्रमाणित फोटो
हेतु स्थान

पूर्व में प्राप्त अनुदान राशि का विवरण —(कृपया सील लगा कर फोटो प्रमाणित करावें)

श्रेणी	प्रयोजन	कुल राशि			लाभान्वित करने की तिथि
		ऋण	अनुदान	टोटल	
1.	2.	3.	4.	5.	6.

वर्तमान सिफारिश —

कृषक श्रेणी : लघु/ सीमान्त / खेतीहर/ श्रमिक/ ग्रामीण दस्तकार	
वर्ग	प्रयोजन
सिफारिश देय अनुदान — इकाई लगाई का अधिकतम्	प्रतिशत की सीमा में
7.	8.

प्रबन्धक,

शाखा.....जिला — पाली

प्रिय महोदय,

मैं / हम, जो एक ही परिवार के सदस्य हैं एतद् द्वारा निम्नांकित उद्देश्य के लिये रु.....
.....(रूपये.....मात्र) के ऋण के लिये आवेदन करते हैं । आवश्यक विवरण निम्नानुसार हैं

	ऋण (प्रयोजन दर्शाए)	राशि रु.
(क)		
(ख)		
(ग)		
(घ)		
सामान्य जानकारी (आवेदक) (को) का/ नाम	आयु	पिता / पति का नाम
(1)	(2)	(3)

(1)

(2)

(3)

(ख) निवास का पता :

(गांव/ डाकघर/ तालुका/ जिला)

(ग) 1. परिवार के मुखिया का नाम
2. परिवार में कुल सदस्यों की संख्या :

I बालिग

II नाबालिग

3. परिवार की वर्तमान वार्षिक आय रु.....

- (घ) क्या आवेदन अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति से सम्बंधित हैं ? (स्पष्ट करें)
 (ङ) क्या आवेदक लघु कृषक/ सीमान्त कृषक/कृषि श्रमिक/ग्रामीण हस्तकार/अन्य हैं। (स्पष्ट करें)
 (च) क्या आवेदक या परिवार के किसी अन्य सदस्य ने एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अर्न्तगत पूर्व में कोई ऋण लिया है ? यदि हां तो विवरण दें ।

स्वरोजगारी ऋणी का नाम	निवेश का प्रकार	प्राप्त अनुदान की राशि	वितरण ऋण राशि रूपयें	बकाया राशि
1.	2.	3.	4.	5.
1.				
2.				

(छ) जोत भूमि का विवरण

1. मालिकाना भूमि

गांव	सर्वे नं. (खसरा नं.)	सूखी (बारानी)	सिंचित	कुल भूमि	भूमि राजस्व रू. (लगान)
1.	2.	3.	4.	5.	6.

2. पटटे / किराये आदि पर ली गई भूमि :

गांव	सर्वे नं. (खसरा नं.)	अधिकार का स्वरूप	सूखी (बारानी)	सिंचित	कुल एकड
1.	2.	3.	4.	5.	6.

हस्ताक्षर
पटवारी हल्का

(ज) मालिक उपकरणों के विवरण

(आवेदन की तारीख को)

उपकरण विवरण

1. जुताई के पशु
2. दुधारू पशु
3. तेल ईन्जिन / पम्प सेट / विद्युत मोटर आदि
4. अन्य (स्पष्ट करें)

(झ) परिवार से सम्बंधित वर्तमान देवनाओं का विवरण (यदि कोई हो)

आवेदन की तारीख को

हस्ताक्षर पटवारी हल्का

ऋणी का नाम	ऐजेन्सी (स्पष्ट करें)	बकाया राशि	जिसमें से अवधिपार	ऋण का प्रयोजन
1.	2.	3.	4.	5.

मैं/ हम एतद द्वारा घोषणा करता हूँ / करते हैं कि उपर दिये गये विवरण मेरे / हमारे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही व सत्य हैं । मैं / हम राज्य वसूली अधिनियम के अर्न्तगत वसूली के लिये निर्धारित संक्षिप्त प्रक्रिया के लिये सहमत हूँ ।/हैं ।

ग्राम सेवक द्वारा
हस्ताक्षर
आवेदक को/ के हस्ताक्षर प्रमाणित

आवेदक (को) का/के
तारीख :

विकास अधिकारी की सिफारिश

यह प्रमाणित किया जाता है किपुत्र.....
जाति.....स्व. ग्राम स्व.के अर्न्तगत चयनित परिवार जिसमें चयन क्रमांक.....वर्ष..
.....हैं, का सदस्य हैं । उक्त परिवार लघु कृषक/सीमान्त कृषक /कृषि श्रमिक/अकृषि
श्रमिक/ग्रामीण शिल्पी के रूप में चयनित हैं ।

आवेदक (को) के आवेदन में शामिल निवेश के लिये अनुदान ऋण देने की सस्तुत किया जाता है ।
आवेदन परिवार को अधिकतम् अनुदान प्रात्रताहैं जिसमें से पूर्व में
राशि अनुदान से लाभान्वित किया जा चुका है । अतः अब अधिकतम् देय अनुदान की पात्रता
की सीमा वास्तविक ऋण विवरण कीप्रतिशत राशि अनुदान आपके बैंक से जिला परिषद
(ग्रामीण विकास परिषद) पाली के बचत खाते से आहरित करने के लिये अधिकृत किया जाता है । प्रार्थना पत्र का
विवरण पंचायत समिति के कन्ट्रोल रजिस्टर के पृष्ठ संख्याक्रम संख्या.....
पर दर्ज किया गया है ।

विकास अधिकारी
पंचायत समिति
(अधिकारी नाम एवं दिनांक)

मूल्यांकन

- (क) जिला परिषद ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ / खण्ड विकास अधिकारी से आवेदन प्राप्त होने की तारीख –
(ख) क्या कार्य कलाप दृष्टि से व्यवहारिक हैं ?
(ग) क्या निविष्टियों अस्तियों से आपूर्ति एवं उपज का विपणन की व्यवस्था उपलब्ध हैं ?
(घ) वित्तीय व्यवहार्यता

निवेश का प्रकार	योजना की लागत	निवेश के समय आय रू.	नये निवेश से अपेक्षित आय के रख रखाव आदि पर खर्च रू.		कुल आय रू. 3+4-5=6.
			आय 4.	व्यय 5.	
1.	2.	3.			

(ड) परिवार के वार्षिक खर्च का अनुमान – रू.

(च) निवेश के लिये उपलब्ध राशि –

I

II

(छ) सिफारिश की गई राशि (कार्यशील पूंजी सहित, जब भी आवश्यक हैं)

निवेश का प्रकार

राशि (रू. में)

(ज) सिफारिश की गई चुकौती अनुसूची

तारीख.....से आरम्भ होकर रू.....की मासिक/तिमाही/अर्द्ध

वार्षिक / वार्षिक किश्तों तथा रू.....को अंतिम किश्त में देय ।

(झ) ब्याज दर –

(ट) I प्रारम्भ

II अतिरिक्त यदि कोई हो ।

(ठ) अन्य नियम एवं शर्तें

I बीमा

लागू होने पर कार्यशील पूंजी का उल्लेख अलग से करें ।

(ड) क्या ब्याज दर तथा लागत, प्रारम्भिक अवधि चुकौती आदि से सम्बंधित भारतीय रिजर्व बैंक / राष्ट्रीय कृषि

और ग्रामीण विकास बैंक के मानदण्डों का पूर्ण रूप से पालन किया गया ।

जाँच – पडताल करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

(ढ) उपरोक्त नियमों एवं शर्तों के अनुरूप मंजूर

अथवा

नामंजूर राशि कम की गई ।

(इसके लिये कारणों को रिकार्ड किया जाना चाहिये)

शाखा प्रबन्धक के
हस्ताक्षर
दिनांक :

जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) पाली

पूर्व में प्राप्त अनुदान राशि का विवरण -

श्रेणी 1.	प्रयोजन 2.	कुल राशि			लाभान्वित करने की तिथि 6.
		ऋण 3.	अनुदान 4.	टोटल 5-	

वर्तमान सिफारिश -

श्रेणी एस.एफ./एम.एफ./ए.एल./आर.ए.	
वर्ग : अनु. जा. अ.ज.जा./	अन्य सिफारिश - प्रयोजन..... देय अनुदान - ईकाई लागत का.....प्र.श. अधिकतम्.....की सीमा में।
स्व. रोजगारी का चयन क्रमांक.....	वर्ष.....

इकरारनामा

यह इकरारनामा आज दिनांकमाह.....वर्ष.....सन दो हजारको मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्रा. वि. प.) पाली (प्रथम पक्ष) एतद् द्वारा जो जिला परिषद कहलायेगा।

श्री.....पुत्र/पत्नी श्री.....जाति.....

ग्राम.....पंचायत समिति.....तहसील.....जिला.....
(द्वितीय पक्ष) एतद् पश्चात जो चयनित स्वरोजगारी कहलायेगा, जिस व्यक्ति में उसके उत्तराधिकारी वारिस तथा अनुमति प्राप्तकर्ता अभिहस्ताक्षरकर्ता भी सम्मिलित होगा, के मध्य निष्पापादित हुआ।

चूंकि चयनित स्वरोजगारी योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता स्वीकार करता हैं तथा अभिकरण द्वारा अंकित निम्न शर्त /अनुबन्धों पर अनुदान देना स्वीकार किया जाता हैं। अतः दोनो पक्षों में निम्नलिखित रूप से करार दिया जाता हैं जिसका पालन दोनो पक्षों द्वारा किया जाये गा। प्रमाण स्वरूप यह इकरारनामा लिखा जाता हैं।

विकास कार्य का नाम	बैंक शाखा का नाम	ऋण (बैंक द्वारा)	अनुदान (जि.प. द्वारा)	योग	बीमा प्रीमियम राशि का विवरण		
					बीमा राशि जि. प. द्वारा	बीमा स्व. द्वारा	कुल
1.							
2.							
3.							

- चयनित स्वरोजगारी इस कार्य के लिये अन्य किसी संस्थान से ऋण नहीं लेगा।
- चयनित स्वरोजगारी जब तक ऋण की अदायगी निर्धारित अवधि समाप्त न हो जाये /अथवा ऋण की समस्त राशि मय ब्याज के अदा न कर दी जाये, इन दोनो स्थितियों में से जो भी स्थिति बाद की जो, तब तक जमीन/कुआ/पम्पिंग सेट/पशुओं/उपकरणों और अन्य संसाधनों को न तो किसी को हस्तांतरण

करेगा । और न ही गिरवी रखेगा और न ही बेचेगा तथा इन्हे तब तक ऋण देने वाली संस्था एवं अभिकरण की सम्पत्ति समझेगा ।

3. जिला परिषद ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ व ऋण देने वाली संस्था के अधिकृत अधिकारी चयनित स्वरोजगारी की जमीन/कुआ/पम्पसेट/पशुओं अन्य उपकरणों संसाधनों इत्यादि को कभी भी निरीक्षण कर सकेंगे ।

(क) जिला परिषद द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार

1. निर्धारित नस्ल के पशु क्रय करेगा ।
2. क्रय किये गये पशुओं का अभिकरण द्वारा (ब्रांडिंग/टोगिंग/टुटूडू गारिंग) अंकित करने की व्यवस्था में बाधा उत्पन्न नहीं करेगा ।
3. पशुओं का शेड (बाडा) निर्माण नक्शे या निर्देश के अनुसार करेगा ।
4. पशुओं की समुचित व्यवस्था (आहार व पानी आदि की) करेगा ।
5. प्रजनन विधि अपनायेगा ।
6. यदि आवश्यक हुई तो ट्रेनिंग लेगा ।

(ख) पशुओं द्वारा उत्पादित पदार्थ दूध/अण्डा/ऊन इत्यादि की जहाँ कहीं भी सुविधा उपलब्ध होगी सहकारी समिति के माध्यम से या जिला परिषद के निर्देशानुसार रूप में बेचा जायेगा ।

(ग) पशु की मृत्यु हाने की अवस्था में जिला परिषद बैंक ,विकास अधिकारी को अविलम्ब उचित कार्यवाही हेतु सूचित करेगा ।

(घ) पशु रोग ग्रसित हो तो अविलम्ब निकटवर्ती पशु चिकित्सालय, ग्राम सेक पशु पालन प्रसार अधिकारी आदि को सूचित कर उपचार हेतु प्रयास करेगा ।

(ङ) संक्रामक रोग के नियंत्रण हेतु टीका लगवायेगा ।

5. चयनित स्वरोजगारी समय पर कृषि उत्पादन से वृद्धि हेतु उन्नत बीज,दवाईयां एवं विधियों को अपनायेगा । किस्तों की अदायगी की स्थिति में ऋण तथा अनुदान से प्राप्त संसाधनों को ऋण अदायगी की निर्धारित अवधि तक किसी को हस्तांतरित /बिक्री नहीं करेगा और न ही गिरवी रखेगा । ऋण की निर्धारित समयावधि से पूर्व चयनित लाभार्थी द्वारा ऋण की राशि अदा करके संसाधन संसाधन को बिक्री/हस्तांतरित कर देना गिरी रख देना /खुर्दबुर्द कर देना, अनुदान की राशि का दुरुपयोग /धोखाधडी एवं विश्वास भंग समझा जावेगा । और ऐसी अवस्था में समस्त अनुदान राशि का एक मुश्त जिला परिषद को 18 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करेगा । राशियां उससे एक मुश्त वसूली योग्य होगी। साथ ही जिला परिषद वित्तदाता संस्था उसके विरुद्ध दीवानी/फौजदारी कार्यवाही भी कर सकेगा ।
6. चयनित स्वरोजगारी जिला परिषद द्वारा निरीक्षण के लिये मांगे जाने वाले रेकर्ड व पशुओं को पेश करेगा तथा निर्धारित किये जाने वाले रेकर्ड रखने की व्यवस्था करेगा ।
7. योजना अन्तर्गत प्राप्त पशुओं/उपकरणों का अनिवार्य रूप से बीमा करवायेगा। बीमें की अपने हिस्से की राशि स्वयं जमा करायेगा या बैंक द्वारा भेजे जाने हेतु सम्बन्धित बैंक का अधिकार होगा।
8. पम्पिंग सेट में खराबी हो जाने अथवा मोटर जल जाने पर जिला परिषद को सूचित करेगा।
9. अनुदान/ऋण राशि योजनानुसार उपयोग न करने अथवा यह पाये जाने पर कि केवल ऋण प्राप्त करने की नियत से असत्य विवरण दिया जाकर ऋण/अनुदान प्राप्त किया गया है। इसको दुरुपयोग किया गया है तो समस्त ऋण एक मुश्त बैंक के नियमानुसार एवं अनुदान एक मुश्त अभिकरण को मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर वापिस करेगा।
10. जिला परिषद ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ को यह अधिकार होगा कि चयनित स्वरोजगारी द्वारा उपरोक्त बातों/शर्तों की पालना नहीं करने की दशा में उसे दी गई राजकीय अनुदान की राशि राजस्थान लोग मांग वसूली अधिनियम 1952 के प्रावधानों के अनुसार वसूल करने एवं इस सम्बंध में जिला परिषद के अध्यक्ष या उसके द्वारा अधिकृत किसी भी अधिकारी का इस विषय में निर्णय अन्तिम होगा ।

यह इकरारनामा उपरोक्त दिनांक से प्रारम्भ होकर ऋण की अन्तिम किश्त भुगतान होने की निर्धारित अवधि तक जब ऋण की पूर्ण राशि मय ब्याज वसूल न हो जाये तब तक ऋण की निर्धारित अवधि से पूर्ण ऋण अदायगी अदा करके संसाधन को बिक्री हस्तांतरित कर देने, गिरवी रख देने अथवा खुर्दबुर्द कर देने की स्थिति में जब तक अनुदान की अवधि के लिए प्रभावशाली रहेगा ।

हस्ताक्षर स्वरोजगारी

जिला परिषद की ओर से
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.)
पाली

विकास अधिकारी
पंचायत समिति

शपथ-पत्र

मैं पुत्र श्री जाति
पंचायत समिति जिला शपथपूर्वक यह बयान करता हूँ कि मैंने
..... बैंक से उद्देश्य हेतु ऋण लेने के लिए आवेदन
पत्र दिया है उसमें वर्णित समस्त तथ्य मेरी पूरी जानकारी एवं विवरण सही है।

मैं यह भी बयान करता हूँ कि मेरे ऊपर राज्य सरकार/पंचायत समिति/व्यवसायिक बैंक एवं अन्य किसी
भी सहकारी संसिीन के कोई ऋण बकाया नहीं है।

अथवा

मैं ग्राम सेवा सहकारी समिति का सदस्य हूँ
जहां से मैंने रूपये अल्पकालीन ऋण ले रखा है जो अवधि पार नहीं है। मैंने ..
..... विभाग/संस्था से पूर्व में
..... उद्देश्य हेतु रूपये का ऋण दिनांक
को लिया था जिसमें से रूपये की राशि बकाया है जो अवधिपार नहीं है।

मैं पुत्र श्री जाति
निवासी शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित सभी तथ्य
मेरे स्वयं के ज्ञान व विश्वास से सही व सत्य है। इसमें कुछ भी झूठ नहीं है और न ही कुछ छिपाया गया है।

हस्ताक्षर व पूरा नाम व पता

शपथ ग्रहिता को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ व पहचानता हूँ।

हस्ताक्षर व पूरा नाम पता

मैं (नामित का नाम) उम्र.....
पुत्र/पत्नि बीमित से सम्बन्ध स्व.
ग्राम स्व.यो. के स्वरोजगारी को सामुहिक जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित होने की अवधि में मेरे मृत्यु होने
पर प्रतिकार राशि प्राप्त करने हेतु नामांकित करता हूँ।

हस्ताक्षर व पूरा नाम पता

उक्त शपथ श्री पुत्र श्री
निवासी ने आज दिनांक को स्थान
अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष ली है और शपथ पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं जिसे प्रमाणित किया जाता है।

विकास अधिकारी
पंचायत समिति
(हस्ताक्षर मय सील)